7/3

पीठासीन अधिकारी महोदय
राजकोष में तशरीफ रखते हैं ...
को पेश हो

20.9.21

प्रशासन गांवों के संग अभियान

20/9/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दिनांक 26/11/21 को पेश हो।

26/11/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट देई में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम देई की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के अनुसार खाता सं. 73 खसरा सं. 2126, 2127, खाता सं. 93 के खसरा सं. 2125, 2132, 2137, 2342, 4010 एवं खाता सं. ~~1596~~, खाता सं. 132 खसरा सं. 2122, 2123, 2133 में स्थित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज है। उक्त खातों में कजोड़ पुत्र प्रताप के स्थान पर लादूलाल पुत्र रामप्रताप एवं लादी पुत्री प्रताप के स्थान पर कजोड़ी पुत्री रामप्रताप किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट [illegible] नाम संशोधन किया जाना न्यायोचित [illegible] देई पटवार [illegible] ग्राम 2073-76 [illegible] जमाबंदी सम्वत की खाता सं. [illegible]यां 68 के खसरा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सं. 2126/1-10, 2127/00-19 तथा खाता संख्या नया 85 के खसरा संख्या 2125/0-08, 2132/4-01, 2137/1-11, 2342/2-12, 4010/10-10 तथा खाता संख्या 132 के खसरा से. 2122, 2123 व 2133 (जमाबंदी 2077 के अनुसार) में दर्ज "कजोड पुत्र प्रताप" के स्थान पर "लादूलाल पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप" तथा "लादी पुत्री प्रताप" के स्थान पर "कजोड़ी पुत्री प्रताप उर्फ रामप्रताप" संशोधित कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner